दुराचारी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

अदालत से

बलरामपुर, संवाददाता। करीब आठ वर्ष पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) राहुल सिंह द्वितीय की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 13 अक्टूबर 2018 को पीड़िता के पिता ने थाना पचपेड़वा में तहरीर देकर गांव विशुनपुर टनटनवा निवासी शब्बू उर्फ मैनुद्दीन पुत्र चिनके पर अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इसकी उसने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी।पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना पूरी की और साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस दौरान कोर्ट परिसर में काफी संख्या में लोग जमा थे

आरोपी को सजा दो हजार जुर्माना

बलरामपुर। 26 वर्ष पुराने अवैध तमंचा बरामदगी के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक अभियोजन अधिकारी विनय कुमार वर्मा ने बताया कि 25 अक्टूबर 2000 को थाना ललिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान सकरी ललिया निवासी नान बाबू पुत्र मंजूर अली के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद किया था।

विवेचना पूरी होने के बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।